न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), देहरादून।

मूलवाद संख्या / 156 /2025

(C.I.S No. /2025)

[illegible] **बनाम** [illegible]

वाद प्रस्तुत करने का दिनांक	:	02.05.2025
वाद का प्रकार	:	निषेधाज्ञा
वाद का मूल्यांकन	:	25,00,000/-
वादिनी अधिवक्ता का नाम	:	[illegible]
प्रतिवादी अधिवक्ता का नाम	:	—

दिनांक–02.05.2025

आज यह मूलवाद वाद पत्र की प्रति के साथ व मुसंरिम आख्या सहित प्रस्तुत होकर आदेश हुआ कि दर्ज रजिस्टर तथा **C.I.S** में एन्ट्री हो। कार्यालय की आख्यानुसार वाद में केविएट अन्तर्गत धारा 148ए सी0पी0सी0 है।

प्रतिवादी को समन वास्ते प्रतिवाद पत्र 02/7/25 एवं वाद बिन्दु हेतु दिनांक 11/7/25 के लिए जारी हो। वादिनी पैरवी से सम्मन अन्दर सप्ताह में करें। सम्मन नजारत के आदेशिका वाहक से तामील कराया जाय।

(राहुल कुमार श्रीवास्तव),
सिविल जज (सी0डि0),
देहरादून।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) देहरादून

पुनस्चय

प्रार्थना पत्र 6सी2 मय शपथ पत्र 7सी2 वादी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर आदेश हुआ

दिनांक 02.05.2025

प्रार्थना पत्र 6सी2 मय शपथपत्र 7सी2 वादीगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर आदेश हुआ कि–

वादी द्वारा 6ग प्रार्थना पत्र पर बल दिया गया और एकपक्षीय रूप से सुने जाने की प्रार्थना की गई तथा मामला अर्जेन्ट बताया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए. के. वर्मा को प्रार्थना पत्र संख्या 6ग2 मय शपथपत्र पत्र 7सी2 पर सुना गया।

2. वादी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 6सी2 मय शपथपत्र 7ग2 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया है कि वादी संस्था द्वारा गठित श्री गुरू राम राम राय एजुकेशन मिशन नाम से संस्था के अन्तर्गत 100 के अधिक विद्यालय है। वादी संस्था के अन्तर्गत महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल भी है। चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए श्री गुरू राम राय मेडिकल कॉलेज संचालित किया जा रहा है। वादी संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को ज्ञात हुआ कि सोशल मीडिया पर वादी संस्था एंव उसके द्वारा संचालित अन्य संस्थानों के विरूद्ध लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए असत्य, अपमानजनक, अनगर्ल दुष्प्रचार किया जा रहा है। प्रतिवादी को वादी संस्था के कार्य एवं ख्याति का ज्ञान है, परन्तु लालचवश जानबूझकर वादी संस्था के विरूद्ध मिथ्या आरोप लगा रहा है। अतः प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाए कि वे वादी संस्थ के महन्त व गद्दी नशीन श्री देवेन्द्र दास जी के प्रति अशोभनीय प्रचार सोशल मीडिया तथा किसी भी अन्य माध्यम से न करे तथा ऐसा कोई भी प्रचार न करे कि जो अयत्य व मानहानि कारक हो तथा न ही इसका कारण बने तथा बलपूर्वक अवैध रूप से वादी संस्था एवं उसके द्वारा गठित संस्थाओं के कार्य में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करे तथा न ही संस्थाओं की परिसर के प्रवेश मार्ग पर तथा एक निश्चित दूरी 500 मीटर की परिधि के भीतर धरना, घेराव, नारेबाजी, आवागमन में अवरोध आदि उत्पन्न करे तथा न ही इसका कारण बने।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन शपथपत्र 7सी2 का भाग बनाते हुए सोशल मीडिया के स्क्रीन शॉट की प्रति, वादी सोसायटी के प्रपत्र की प्रति प्रस्तुत किए गए।

6. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 के उपनियम 1 के तहत अर्जेन्ट मामला बताया है तथा यह कथन किया गया है कि

प्रतिवादी वादग्रस्त सम्पत्ति में पेड काटने का मिथ्या कथन कर जनभावना का भड़काने का एवं सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया जा रहा है, जिससे वादी संस्था की छवि धूमिल हो रही है।

7. वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों तथा प्रस्तुत शपथपत्र के परिशीलन से वर्तमान वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी को अग्रिम नियत तिथि तक वादी संस्था एवं वादी संस्था के महन्त श्री देवेन्द्र दास जी के प्रति सोशल मीडिया पर प्रचार न करने एवं वाद पत्र के अंत में दर्शाई गई सम्पत्ति में 500 मीटर की परिधी में धरणा–प्रदर्शन करने, घेराव, नारेबाजी, आवागमन को अवरोध करने से निषेधित किए जाने के लिए कथन किया गया है अन्यथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। मामल अर्जेन्ट होना प्रतीत होता है।

8. तद्नुसार तदर्थ रूप से प्रतिवादी को अंतरिम निषेधाज्ञा के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक वादी संस्था के विरूद्ध सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार न करे न करवाए न ही मानहानि कारक कथन किसी भी माध्यम से प्रकाशित या अपलोड करे तथा वाद पत्र के अंत में दर्शाई गई सम्पत्ति 250 मीटर की परिधि में धरणा प्रदर्शन न करे न करवाए तथा कोई व्यवधान उत्पन्न न करे न करवाए।

9. वादी आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के परन्तुक के खण्ड 'क' व 'ख' का अनुपालन करे जिसके अनुसार यह आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र 6ग एवं उसके साथ प्रस्तुत किए गए शपथपत्र मय संलग्नक तथा वाद पत्र की प्रति एवं अन्य दस्तावेज, जिन पर आवेदक निर्भर करता है उसे पंजीकृत डाक मय ए.डी. से भेजे।

10. वादी आवेदन 6सी के निस्तारण में तथा तामील कराने में यदि विलम्ब कारित करता है या अनावश्यक रूप से स्थगन पेश करता है तो एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 उपनियम (1) के परन्तु (जो उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सिविल लॉ रिफोर्म अधिनियम, 1976) के तहत प्रभाव मुक्त कर दिया जाएगा।

11. पत्रावली दिनांक 24/5/25 को प्रार्थना पत्र 6ग2 पर आपत्ति/निस्तारण हेतु पेश हो। वादी अविलम्ब दोनों प्रकार से पैरवी करें। प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस जारी हो। आदेश 39 नियम 3 के तहत अनुपालन के ए.डी. वापसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाए। आदेश एन.जे.डी.जी. पोर्टल पर अपलोड हो।

(राहुल कुमार श्रीवास्तव)
सिविल जज (सी.डि.),
देहरादून

आदेश की सत्यप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
देहरादून।